प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –501 / 2023

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. जैयता पत्नी राजेराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
2. डेडराज पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
3. मनिस्टर पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
4. बिमला पुत्री राजेराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
5. चावली पुत्री राजेराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 19.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा टिडियासर तहसील नोहर के खाता स0 183 / 179 की कुल 4.2240 हैक्ट भूमि वादी के पिता राजेराम पुत्र खुमाणाराम के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता स0 30 / 28 की कुल 4.1100 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वर्तमान में रोही मौजा टिडियासर तहसील नोहर के खाता स0 183 / 179 की कुल 4.2240 हैक्ट भूमि राजेराम पुत्र खुमाणाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। राजेराम पुत्र खुमाणाराम जो कि वादी का पिता है का देहान्त हो चुका है। सजरा खानदान के अनुसार राजेराम पुत्र खुमाणाराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 है तथा रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता स0 30 / 28 की कुल 4.1100 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वाद भूमि पैतृक व दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है।

प्रतिवादीगण स0 4 व 5 जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 की बहिन है तथा प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी स0 1 जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 की माता है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 के पक्ष में परित्याग कर दिया है बाद हक त्याग रोही मौजा टिडियासर तहसील नोहर के खाता स0 183 / 179 की कुल 4.2240 हैक्ट तथा रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:58:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

तहसील नोहर के खाता स0 30/28 की कुल 4.1100 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 5 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा टिडियासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 खाता स0 183/179 प्रदर्श–1, जमाबंदी रोही मौजा ढाणी भाम्भूआन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 30/28 प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र राजेराम प्रदर्श–3, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रदर्श–4, वारिसनामा प्रदर्श–5 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमी वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। प्रतिवादीया स0 1, 4 व 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा टिडियासर तहसील नोहर के खाता स0 183/179 की कुल 4.2240 हैक्ट भूमि राजेराम पुत्र खुमाणाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है राजेराम पुत्र खुमाणाराम का देहान्त हो चुका है उनके वारिस उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है तथा रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता स0 30/28 की कुल 4.1100 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है [illegible] वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित [illegible] है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अला[illegible] प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:58:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 ता 5 द्वारा इकबाल जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादीया स0 1, 4 व 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा टिडियासर तहसील नोहर के खाता स0 183/179 की कुल 4.2240 हैक्ट भूमि राजेराम पुत्र खुमाणाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक राजेराम पुत्र खुमाणाराम का नाम कलमजन किया जाता है तथा रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता स0 30/28 की कुल 4.1100 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त दोनों खातों में वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/12/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–चक सरदारपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:38:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –501/2023
अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. जैयता पत्नी राजेराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
2. डेडराज पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
3. मनिस्टर पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
4. बिमला पुत्री राजेराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
5. चावली पुत्री राजेराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 501 सन 2023 निर्णय दिनांक 19.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा टिडियासर तहसील नोहर के खाता स0 183/179 की कुल 4.2240 हैक्ट भूमि राजेराम पुत्र खुमाणाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक राजेराम पुत्र खुमाणाराम का नाम कलमजन किया जाता है तथा रोही मौजा ढाणी भाम्भुआन तहसील नोहर के खाता स0 30/28 की कुल 4.1100 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त दोनों खातों में वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:58:15 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–चक सरदारपुरा